न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 03/2019 RCMS No.–2019/00006

1. प्रहलाद पुत्र स्व. छीतर मल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी चंदलाई भवन के पास, नाटाणियों का रास्ता, फिल्म कॉलोनी, चौडा रास्ता, जयपुर।
2. मोहन पुत्र स्व. छीतर मल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी पुरानी चुंगी नाके के पास, अजमेर रोड, मोदी नगर डी–ब्लॉक, जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री भौरी लाल शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत विधानी जरिये सरपंच पता पंचायत भवन ग्राम विधानी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...गैर निगरानीकार

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 08.09.2009 द्वारा पंचायत समिति सांगानेर पट्टा संख्या 3213 प्रहलाद, मोहन पुत्रान छीतर दिनांक 05.01.2002

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.07.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी विरूद्व विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 08.09.2009 जिसके द्वारा निगरानीकारान संख्या 1 व 2 के हक में संयुक्त रूप से जारी पट्टा संख्या 3213 आदेश दिनांक 05.01.2002 खारिज किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.03.2010 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन चौधरी से उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के मूल निवासी है तथा अपने व्यवसाय नौकरी के कारण उनवानी में दर्ज पतो पर निवास करते है। निगरानीकारान की कब्जे व स्वामित्व की आबादी भूमि ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर में स्थित है जिसका उपयोग उपभोग निगरानीकर्ता अपने पूर्वजो के समय से करते आ रहे है, उक्त आबादी भूमि का ग्राम पंचायत विधाणी द्वारा नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए आदेश दिनांक 05.01.2002 द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के हक में संयुक्त रूप से पट्टा संख्या 3213 जारी किया गया। उक्त विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा नाजायज कब्जा करने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

की असफल कोशिश की गई जिसके बाद गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से तत्कालीन ग्राम पंचायत विधाणी से जारी विवादित पट्टे की मिथ्या अपील/निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर के की गई। विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर द्वारा निगरानीकारान को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रदान करने का अवसर दिये ही पट्टा संख्या 3213 खारिज कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत विधाणी पूर्ण रूप सें पंचायती राज अधिनियम की पालना की गई है व नियमानुसार पट्टा शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकारान का ही वर्तमान में विवादित भूमि पर कब्जा है। निगरानीकारान के मौके पर टिन के खाम मकान बने हुए है एवं पंचायत समिति सांगानेर में दौराने अपील मौके की रिपोर्ट अनुसार कोई कब्जा नहीं दर्शाया गया है जबकि मौके पर निगरानीकारान का कब्जा है। निगरानीकारान को विवादित भूमि का राशन कार्ड भी जारी किया गया है एवं निगरानीकरान की मां का मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत विधानी में निगरानीकारान के निवास को दर्शाता है। विकास अधिकारी पं. स. सांगानेर द्वारा वास्तविक तथ्यो की अनदेखी करते हुए निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.09.2009 पारित किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने कथन किया कि विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर द्वारा नियमानुसार आदेश दिनांक 08.09.2009 पारित किया गया है। निगरानीकारान का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, एवं पट्टे की भूमि रास्ते में आने के कारण विवादित पट्टा खारिज किया गया है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है जिसका पट्टा नहीं दिया जा सकता। विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर द्वारा निगरानीकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया था लेकिन निगरानीकारान नोटिस दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे। निगरानीधीन आदेश दिनांक 08.09.2009 नियमानुसार एवं विधिसम्मत है। अतः निगरानी की खारिज की जावे।

पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 को ग्राम पंचायत विधाणी द्वारा संयुक्त रूप से पट्टा संख्या 3213 दिनांक 05.01.2002 को जारी किया गया था। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाकर भूमि का नक्शा तैयार किया गया। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित अवधि में आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत पट्टा शुल्क 488/– रूपये

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जमा कर पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत विधाणी द्वारा विवादित पट्टा जारी करने की प्रकिया पर गौर किये बिना केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीकारान की पुश्तैनी भूमि है जैसा कि पट्टा आलेख में अंकित है एवं विवादित भूमि पर कब्जा/निर्माण आदिनांक तक निगरानीकारान का है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि निगरानीकरान को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी पं.स. सांगानेर द्वारा नहीं दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। वकील गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/संबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ता का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है अथवा विवादित भूमि रास्ते की भूमि है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2009 निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत विधानी की मूल पट्टा पत्रावली विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के अर्न्तगत विधिसम्मत निर्णय लेवे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत विधाणी को भी निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर